भाग-3

12. बैठक का स्थगन:-

(1) सामान्य बैिक ईपवस्थत सदस्यों के बहमत की सममवत से समयु - समय पर स्थवगत की जा सके गी, वकन्त बैिकु , वजससे स्थगन हअ है , में छोड़े गये ईस ऄध्ययवनत काया से वभन्न कोइ भी काया स्थवगत बैिक में नहीं वकया जायेगा।

(2) यवद बैिक के विये वनयत समय के पश्चात अधे घण्टे के भी्   तर गणपवता नहीं होती ह ैू   तो ऄध्यि आसे ऄन्य ऐसी तारीख तक स्थवगत कर सके गा जैसा िह यवियु ि समझे। िह काया जो ु अरवमभक बैिक के समि िाया गया होता तो ऐसी स्थवगत बैिकों के समि िाया जायगो तथा ईसका वनपटारा वकया जा सके गा चाह ेगणपवता हो या नहीं।ू

13. अलभिेखों की प्रस्ततलत ु :- मख्य कायापािक ऄवधकारी द्वारा बैिक के एजेण्र्ा से समबवन्धत समस्त ु रेकार्ा एि सं चना बैिक के पू िा प्रस्तू त वकया जाििेगा।ु

14. बैठक का कायड लववरण:- बैिक में प्रत्येक एजेण्र्ा पर वनणाय बहमत से विया जाििेगा। दोनों पिों के ु बराबर मत होने की दशा में ऄध्यि को कावस्टंग मत (वनणाायक मत) देने का ऄवधकार होगा। गत बैिक में विये गये वनणायों का ऄनमोदन ऄपनी बैिक में कराया जायेगा। प्रत्येक बैिक की कायािाही विािरण ु राज्य सरकार तथा समस्त सदस्यों को साधारणतया बैिक के 15 वदन के ऄन्दर भेजा जाििेगा।

15. यवद विािादग्रस्त मामिा वकसी सदस्य से व्यविगत रूप से समबवन्धत हो तो िह सदस्य विचार विमशा में भग नहीं िेगा न ही ऄपना मत ही देगा न ही ऄपने विचार प्रकट करेगा।

16. बोर्ा के ऄध्यि, सदस्यों ि ऄन्य को देय भत्ता ि ऄन्य भत्तेः- बोर्ा के ऄध्यि, सदस्यों ि ऄन्य को बोर्ा के काया हते ऄथिा बोर्ा से समबवन्धत की जाने िािी यात्रा के विए सु िग्न सारणी नं ं. 1 में ऄवकत भत्ते ं देय होंगे।